

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय—आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा—मा/सी—७/हिन्दी/स्थानान्तरण/2019 दिनांक—29.09.2019 के तहत श्री रामकिशोर बागड़ा, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, मुण्डियारामसर, जयपुर का रथानान्तरण राउमावि, सालरिया कला—बनेडा जिला भीलवाडा किया गया। श्री रामकिशोर बागड़ा ने इस रथानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या—८७/२०२० श्री रामकिशोर बागड़ा बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या—८७/२०२० में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक—२७.०१.२०२० द्वारा अपीलार्थी श्री रामकिशोर बागड़ा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री रामकिशोर बागड़ा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के पिता का ऑपन हार्ट सर्जरी कर हृदय का वॉल्व बदलने के अतिरिक्त डायबीटिज व अल्सर से पीड़ित होने, माताजी पेट संबंधी बीमारी से पीड़ित होने, स्वयं की सडक दुर्घटना में बांये हाथ में स्टील की प्लेट लगी हुई होने के कारण बांया हाथ केवल ५० प्रतिशत ही कार्य करने एवं गत माह ११.०१.२०२० को रक्तूर्ण स्लिप होने के कारण बांये पैर में फेव्चर हो जाने एवं पुत्री माईग्रेन से पीड़ित होने के कारण अपना पदस्थापन १— राउमावि, हीरापुरा, जयपुर, २—मुरलीपुरा बीड़, जयपुर, ३—मानकचौक, जयपुर, ४—माचवा—झोटवाडा, जयपुर, ५—श्योपुरा—झोटवाडा, जयपुर, ६—बा.झोटवाडा, जयपुर, ७—बा.चौड़ा रारता, जयपुर, ८—बा.गणगौरी बाजार, जयपुर में करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए इनका पदस्थापन/समायोजन राउमावि, माचवा—झोटवाडा, जयपुर में व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निरतारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी—७/हिन्दी/स्था.को.के./रामकिशोर बागड़ा/८७/२०२०/ दिनांक—२१।०२।२०२०

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
 1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
 2. संबंधित संयुक्त निदेशक रक्कूल शिक्षा।
 3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) रक्कूल शिक्षा।
 4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, रक्कूल शिक्षा, भीलवाडा / जयपुर
 5. जि.शि.अ. (माध्य—विधि) जयपुर।
 6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
 7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
 8. प्रधानाचार्य, राउमावि, सालरिया कला—बनेडा, भीलवाडा / माचवा—झोटवाडा, जयपुर
 9. संबंधित कार्मिक—
 10. गार्ड वंजिका।

२०२०।०२।२०२०
संयुक्त—निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर